

प्रेषक,

डा० रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चन्दौली।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 10 जुलाई, 2017

विषय: बाढ़-2016 से हुई कृषि फसलों की क्षति के सापेक्ष शासन द्वारा कृषि निवेश अनुदान मद में स्वीकृत धनराशि के पुर्नग्रहण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-596/1-10-2017-7(जी)/2016टी0सी0-1, दिनांक 12.05.2017 द्वारा रू० 13,14,79,400 (रूपये तेरह करोड़ चौदह लाख उन्यासी हजार चार सौ मात्र) जनपद चन्दौली को लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-02-बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" में आवंटित की गयी थी।

2- जिलाधिकारी चन्दौली के पत्र संख्या-132/दैवी आपदा/2017(बाढ़ कृषि-17), दिनांक 16.06.2017 द्वारा बाढ़ समाप्त हो जाने के उपरान्त फसल की स्थिति पूर्ववत हो जाने के कारण कृषि निवेश अनुदान वितरण की आवश्यकता नहीं होने के दृष्टिगत स्वीकृत धनराशि रू० 13,14,79,400 (रूपये तेरह करोड़ चौदह लाख उन्यासी हजार चार सौ मात्र) समर्पित की गयी है।

3- अतः जिलाधिकारी चन्दौली द्वारा समर्पित की गयी उक्त धनराशि को सम्बन्धित लेखाशीर्षकों में पुर्नग्रहित किये जाने का श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संवदीय,

(डा० रजनीश दुबे)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या 954(1)/एक-10-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
8. समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग 10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।